न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1)अपील/डिक्री/टीए/2563/2003/जैसलमेर

(2)अपील/डिक्री/टीए/2590/2003/जैसलमेर

बींजाराम पुत्र कालूराम जाति माली निवासी साजीत तहसील फतहगढ़, जिला जैसलमेर।

....अपीलार्थी

बनाम

1– माणकराम पुत्र हराराम

2– अजीताराम पुत्र हराराम

3– खीमाराम पुत्र हराराम

4– प्रागाराम पुत्र हराराम

5– जानाराम पुत्र हराराम

6– तगाराम पुत्र हराराम

7– गोपाराम पुत्र हराराम

8– पूनमाराम पुत्र केसराराम

9– मु0 अकलो बेवा भौजाराम

10– कलाराम पुत्र भौजाराम

11– छगन पुत्र भौजाराम

12– मु0 हपू पुत्री भौजाराम पत्नि सवाईराम

समस्त जाति मालियान निवासीगण साजीत तह0 फतहगढ़।

13– मु0 तीजों पुत्र भौजाराम पत्नि भीखाराम

14– ताराचंद पुत्र भौजाराम) नाबालिगान जरिये कुदरती

15– कु0 कबू पुत्र भौजाराम)वली माता मु0 अकलो

16– अर्जुनराम पुत्र केसराराम जाबित माली

17– मु. चुकी बेवा महादानराम

18– मोतीलाल पुत्र महादानराम नाबालिग जरिये वली माता मु0 चंकी

19– अचलाराम पुत्र महादानराम नाबालिग वली माता मु0 चंकी

समस्त जाति मालियान, निवासीगण साजीत तहसील फतहगढ़ जिला जैसलमेर।

20– राजस्थान सरकार।

...प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री एस0सी0पारीक, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः 24–10–19

ये दोनों द्वितीय अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपील सं0 11/02 एवं 12/02 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–03–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– इन दोनों द्वितीय अपीलों के तथ्य, प्रकृति व कानून बिन्दू एवं समान पक्षकार होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावें।

3– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1 लगायत 8 व भौजाराम, जिसके वारिसान मु0 अकलो वगैरह व अर्जुनराम व महादानराम, जिनका

स्वर्गवास हो चुका है, जिनके वारिसान मु0 चुंकी वगैरह ने एक राजस्व वाद सहायक जिलाधीश, जैसलमेर के न्यायालय में अपीलार्थी व राज्य सरकार के विरूद्ध अधिनियम की धारा 88 व 89 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने वादीगण माणकराम व अन्य का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–06–2001 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा पृथक पृथक अपील पेश की गई। बाद सुनवाई प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निप्रय व डिक्री दिनांक 25–03–2003 द्वारा अपील सं0 11/2002 को निरस्त कर दिया व अपील सं0 12/2002 को स्वीकार किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर ये दो द्वितीय अपीलें पेश की गई है।

4– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

5– प्रश्नगत प्रकरणों में वादी द्वारा वाद साबिक खसरा नं0 3 में स्थित भूमि के संबंध में लाया गया है। वादी का कथन है कि उक्त खसरा नंबर से वर्तमान खसरा नंबर 144 रकबा 32.04 बीघा व खसरा नं0 186 रकबा 15.10 बीघा बने है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में साबिक खसरा नं0 3 से केवल 186 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा बने है जबकि खसरा नं0 144 उक्त खसरे से साबिक खसरा नंबर का भाग नहीं होने के आधार पर वाद आंशिक रूप से डिक्री किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पूर्ण विवादित भूमि को साबिक खसरा नं0 3 से बना होना मानते हुए अपीलीय निर्णय पारित किया। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के उक्त विरोधाभासी निष्कर्षो को अभिलेख से सिद्ध किए जाने के कम में प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः प्रेषित किया जाना न्यायसंगत होगा। क्योंकि प्रकरण हमारे द्वारा विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का विवेचन किया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि

हमारे निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं पक्षकारों के हितों को प्रभावित कर सकते है।

6– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप ये दोनों अपीलें स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–03–2003 व सहायक कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–06–2001 निरस्त किए जाकर प्रकरण सहायक कलक्टर, जैसलमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त बिन्दूओं के संबंध में अभिलेख के आधार पर उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात् स्पष्ट निष्कर्ष अंकित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य